



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2012/श्रावण 8, 1934

No. 386]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2012/SHRAVANA 8, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 599(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संपूर्ण चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में "खाद्य विभाग" शब्दों के स्थान पर, "खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(क) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) चीनी उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो निर्वात कढ़ाही के साधन से और यांत्रिकी शक्ति की सहायता से चीनी के विनिर्माण और उत्पादन में लगा है और जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी राज्य जिसका चीनी कारखाना एक भाग है की सहकारी सोसाइटी के अधीन निगमित कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी सम्मिलित है;

(ख) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 3 में,—

(क) "मुख्य शीर्ष '309' सी-खाद्य-सी-9 अन्य व्यय-सी-9 (3) चीनी पर उपकर के संग्रहण के लिए संदाय (गैर-योजना)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"मुख्य शीर्ष '2408-खाद्य, भंडारण और भांडागार', उप मुख्य शीर्ष '01-खाद्य', लघु शीर्ष '797-आरक्षित निधियों और निक्षेप लेखाओं को या उससे अंतरण और उप शीर्ष '01-चीनी विकास निधि से या उसको अंतरण (उद्देश्य शीर्ष '63-आंतरिक लेखा अंतरण') या कोई अन्य मुख्य शीर्ष या लेखा शीर्ष जो इस प्रयोजन के लिए आर्बिट्रिट किए जा सकें";"

(ख) उपनियम (2) में “संबद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“इस प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में जो लेखाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके सरकारी लेखा को या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण से प्रचालित या”;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) संबद्ध वित्तीय संस्था, व्यक्ति या प्राधिकारी उधार के प्रतिसंदाय की प्राप्ति या उस पर ब्याज के संदाय या उधार लेने वाले चीनी कारखाने या उपक्रम से कोई अन्य प्राप्ति के तीन कार्यदिवसों के भीतर निधि में उक्त रकम को जमा करेगा जिसके न हो सकने पर नियम 25 के उपनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के व्यतिक्रम में चीनी कारखानों को लागू ब्याज के उपबंध किसी वित्तीय संस्था, व्यक्ति या प्राधिकारी को लागू होंगे।”।

5. उक्त नियमों के नियम 5 में,—

(क) उपनियम (1) में, “मुख्य शीर्ष - ‘829’ विकास और कल्याण निधि कृषि प्रयोजन के लिए विकास निधि-चीनी विकास निधि” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“मुख्य शीर्ष ‘8229-विकास और कल्याण निधि, लघु शीर्ष ‘105-चीनी विकास निधि’ या कोई अन्य मुख्य शीर्ष या लेखा शीर्ष जो इस प्रयोजन के लिए आबंटित किया जा सके”;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपगत सभी व्ययों को प्रारंभ में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष या लेखा शीर्ष या कोई अन्य मुख्य शीर्ष या लेखा शीर्ष जो इस प्रयोजन के लिए आबंटित किया जा सके, के अधीन भारत की संचित निधि से पूर्ति की जाएगी और उनका उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष के अधीन निधि में अंतिम रूप से विकलन किया जाएगा, अर्थात् :—

**क. राजस्व अनुभाग**

**मुख्य शीर्ष- 2408- खाद्य भंडारण और भांडागार**

उप मुख्य शीर्ष - 01-खाद्य

लघु शीर्ष- 001- निदेशन और प्रशासन

(i) उप शीर्ष- 02- अन्य कार्यालय

ब्यौरेवार शीर्ष-02-चीनी विकास निधि का प्रशासन

(02.02.01- वेतन और 02.02.50-अन्य प्रभार)

लघु शीर्ष- 800- अन्य व्यय

(ii) उपशीर्ष- 01-चीनी का बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सहायिकी

(01.00.33-सहायिकी)

(iii) उप शीर्ष - 02- चीनी उद्योग के विकास के लिए-अनुदान सहायता

(02.00.31-सहायता अनुदान साधारण)

(iv) उप शीर्ष - 06- निर्यात लदाई पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और माल भांड़ा प्रभार का प्रतिदाय और अन्य अनुज्ञेय दावों का संदाय (06.00.33-सहायिकी)

(v) उप शीर्ष - 08- चीनी उपक्रम 2007 के लिए विस्तारित वित्तीय सहायता की स्कीम (08.00.33-सहायिकी)

#### ख. पूंजी अनुभाग

**मुख्य शीर्ष - 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार ।**

उप मुख्य शीर्ष- 04-चीनी

लघु शीर्ष 190- पब्लिक सेक्टर और अन्य उपक्रम के लिए उधार

(i) उप शीर्ष - 03- चीनी मिलों का पुनर्वासन/आधुनिकीकरण

(03.00.55-उधार और अग्रिम)

(ii) उप शीर्ष- 04-गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें

(04.00.55-उधार और अग्रिम)

(iii) उप शीर्ष - 06- सह उत्पादन विद्युत परियोजना पर आधारित खोई के लिए कारखाने

(06.00.55-उधार और अग्रिम)

(iv) उप शीर्ष 07- निर्जल एल्कोहल या एल्कोहल से एथेनाल के लिए उत्पादन हेतु चीनी कारखाने

(07.00.55-उधार और अग्रिम) ।”।

6. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6. स्थायी समिति- इन नियमों के प्रवृत्त होने के यथाशक्यशीघ्र पश्चात् केंद्रीय सरकार एक स्थायी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(1) सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग- अध्यक्ष

(2) वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो- सदस्य

(3) सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो- सदस्य

(4) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो- सदस्य

(5) सचिव, योजना आयोग या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो- सदस्य

- (6) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक सेवाएं विभाग) या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो- सदस्य
- (7) संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य
- (8) मुख्य निदेशक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के चीनी विभाग का निदेशालय - सदस्य
- (9) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के चीनी खंड में निदेशक या उप सचिव - सदस्य सचिव :

परंतु केंद्रीय सरकार, चीनी उद्योग के किसी पहलु का विशेष ज्ञान रखने वाले उस सरकार के या शैक्षिक या अनुसंधान संस्था, स्वायत्त निकाय या उस सरकार के उपक्रम के दो से अनधिक अधिकारियों का नाम निर्देशन कर सकेगी :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, स्थायी समिति की बैठकों के लिए उद्योग या ज्ञान समूहों या वित्त संस्थाओं से प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 9 में, “तीन सदस्यों और उप समिति की दशा में दो सदस्यों” शब्दों के स्थान पर, “पांच सदस्यों और उप समिति की दशा में तीन सदस्यों” शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 13 में,-

(क) पहले परंतुक में, “समिति की दशा में तीन सदस्यों और उप समिति की दशा में कम से कम दो सदस्यों” शब्दों के स्थान पर, “समिति की दशा में पांच सदस्यों और उप समिति की दशा में कम से कम तीन सदस्यों” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) दूसरे परंतुक में, “समिति के कोई तीन सदस्य या उप समिति के दो सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “समिति के कोई पांच सदस्य या उप समिति के तीन सदस्य” शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 16 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(क) “संयंत्र और मशीन” शब्दों के स्थान पर, “इसके चीनी कारखाने या इसके अन्य चीनी कारखानों के संयंत्र और मशीनरी” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ख) में,-

(i) “या सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर स्कीम मिशन माड प्रोजेक्ट की बाबत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद् द्वारा प्रायोजित, इस नियम के अधीन सामान्यता उधार के लिए पात्र होंगे” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई चीनी उपक्रम, जिसने इस नियम के अधीन चीनी कारखाने की बाबत उधार का लाभ उठाया है, वह उस अवधि के दौरान किसी अन्य उधार के लिए पात्र नहीं होगा, जिसमें इस नियम के अधीन पूर्व उधार या उस कारखाने की बाबत नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन उधार पर ब्याज सहित जो पूरी तरह संदाय नहीं कर दिया गया

है या उस कारखाने की बाबत नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन उधार लिया था”;

(iii) दूसरे परंतुक में, “चीनी उपक्रमों के वर्ग या वर्गों” शब्दों के स्थान पर, “चीनी कारखानों या चीनी उपक्रमों के वर्ग या वर्गों” शब्द रख जायेंगे ;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) कोई चीनी उपक्रम निम्नलिखित कारणों या प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए इस नियम के अधीन उधार हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, अर्थात् :-

(क) बरती हुई परियोजना, उपस्कर या मशीनरी :

परंतु कोई चीनी उपक्रम उस योजना के लिए जहां बरते हुए उपस्कर या मशीनरी का उपयोग किया गया है या उनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना के लिए किसी उधार के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, अर्थात् :-

(i) ऐसी बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की विशिष्टता का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जो आवश्यक रूप से नए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर से मिलकर बनते हैं ;

(ii) यह तकनीकी रूप से प्रमाणित होगा कि बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की संपूर्ण दक्षता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(iii) इस प्रकार उपयोग की गई पुरानी मशीनरी या उपस्कर की उपयोग पूर्ण अवधि चीनी विकास निधि उधार के प्रतिसंदाय की मियाद से कम नहीं होगी ;

(iv) खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों पूरा करने के अधीन, मशीनरी या उपस्कर की प्राक्कलित या वास्तविक लागत, जो नई नहीं हैं, का चीनी विकास निधि उधार के प्रयोजन के लिए पात्र परियोजना लागत पर पहुंचने से पूर्व परियोजना की प्राक्कलित या वास्तविक लागत से कटौती किया जाएगा ;

(ख) पुनःवित्तपोषण ;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए “पुनःवित्तपोषण” निबंधन में किसी वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक वित्तीय संस्था या बैंक जिसके मूल्यांकन के लिए, जिसे चीनी विकास निधि संघटक प्रस्तावित है, से लिए गए उधार के पुनःसंदाय के लिए उधार की उपलब्धि सम्मिलित है, किंतु चीनी विकास निधि पर स्थायी समिति को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चीनी विकास निधि संघटक के स्थान पर लिया गया “सेतु उधार” सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) व्याप्त लागत का वित्त पोषण ;

(घ) इन नियमों के अधीन आवेदन की तारीख के पूर्व कमीशनप्राप्त परियोजना ;

2833 (11/12-2

(ड) यदि चीनी विकास निधि के अधीन उपलब्ध कराए गए उधार के प्रतिसंदाय की बाबत ऐसा चीनी उपक्रम व्यतिक्रमी है या इसके किसी चीनी कारखानों में से किसी की बाबत उद्ग्रहण चीनी कीमत समकरण निधि के अधीन किसी देयता के संदाय में है ।”;

(ग) उपनियम (2) में, “ग्यारह” शब्द के स्थान पर, “दो” शब्द रखा जाएगा ।

(घ) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(6) केंद्रीय सरकार, समिति द्वारा की गई सिफारिश पर और किसी अन्य सुसंगत कारक पर विचार करने के पश्चात् उधार की ऐसी रकम का, जो, यथास्थिति, वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक द्वारा ऐसे चीनी उपक्रम द्वारा समप्रवर्तक के अभिदाय के रूप में अभिदाय किए जाने के लिए अपेक्षित रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, से अधिक नहीं है चीनी उपक्रम को संदाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी :

परंतु निधि से उधार मंजूर किया जाएगा, यदि चीनी उपक्रम संप्रवर्तक के अंशदान के रूप में अपने स्वयं के स्रोतों से आवेदन किए गए उधार का न्यूनतम दस प्रतिशत अभिदाय करता है :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार इस उपनियम के अधीन उक्त उधार के संदाय को केवल ऐसे चीनी उपक्रम को प्राधिकृत करेगी जिसने सभी राशियों का पूर्णरूप से संदत्त कर दिया है जो चीनी विकास निधि और उद्ग्रहण चीनी समकरण निधि की बाबत शोध्य हो गई है ।

(ड) उपनियम (9) में, -

(क) खंड (i) में, “यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, चीनी उद्योग और वित्तीय संस्था” शब्दों के स्थान पर, “केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त इस प्रकार नियुक्त नोडल अभिकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iv) में,

(i) “उधार निधि के संवितरण की तारीख से गणना की गई आठ वर्ष की अवधि, जो भी पूर्ववर्ती हो, और उस पर शोध्य ब्याज के साथ निधि से उधार पांच से अनधिक वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “उधार निधि के संवितरण की तारीख से गणना की गई पांच वर्ष की अवधि, जो भी पूर्ववर्ती हो, और उस पर शोध्य ब्याज के साथ निधि से उधार दस से अनधिक अर्द्ध वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(च) उपनियम (11) का लोप किया जाएगा ।

10. उक्त नियमों के नियम 16 क में,-

(क) उपनियम (3) में, “चीनी कारखानों” शब्दों के स्थान पर, “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में, “चार समान वार्षिक किस्तों” शब्दों के स्थान पर, “आठ समान अर्द्धवार्षिक किस्तों” शब्द रखे जाएंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 17 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(i) “उसके क्षेत्र में” शब्दों के स्थान पर “उस क्षेत्र में, जिसमें इसका चीनी कारखाना या इसके चीनी कारखानों में से कोई अवस्थित है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(डक) यांत्रिक रोपकों और फसल काटने की मशीनों का क्रय ;”;

(iii) परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु निधि से उधार केवल तभी मंजूर किया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार का प्ररूप 3 में दी गई जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि उस प्रयोजन के लिए किसी भी अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है तो उसकी रकम केंद्रीय सरकार की राय में अपर्याप्त है और उसकी निधि से उधार देकर पूर्ति किए जाने की आवश्यकता है :

परंतु यह और कि निधि से उधार केवल तब मंजूर किया जाएगा यदि चीनी उपक्रम या राज्य सरकार सीमांत धन के रूप में अपने स्वयं के स्रोतों से इसके लिए आवेदित उधार का न्यूनतम दस प्रतिशत अभिदाय करती है :

परंतु यह और भी कि केंद्रीय सरकार चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम को इस नियम के अधीन उस पर ब्याज सहित उस उधार के लिए अनुमोदन केवल एक अवसर पर करेगी और इस नियम के अधीन कोई और उधार इस नियम के अधीन मंजूर नहीं किया जाएगा जिसमें इस नियम के अधीन पूर्व उधार या नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन उधार पूर्ण रूप से संदत्त नहीं कर दिया गया हो :

परंतु यह और भी कि कोई चीनी उपक्रम, इसके चीनी कारखानों में से किसी की बाबत इस नियम के अधीन किसी उधार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह चीनी विकास निधि उधार या उद्ग्रहण चीनी समकरण निधि के प्रतिसंदाय की बाबत व्यतिक्रमी है :

परंतु यह और भी कि जहां चीनी उपक्रम में इसकी चीनी कारखानों में से किसी की बाबत इस नियम के अधीन कोई उधार की मंजूरी का लाभ नहीं उठाया है तो यह ऐसी मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस नियम के अधीन उधार की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होगा ।”।

(ख) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“परंतु केंद्रीय सरकार, उपयोगीकरण की मानीटरी, स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति और स्कीम के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अभिकरण नियुक्त कर सकेगी जिसके लिए उधार अग्रिम रूप से है और ऐसा अभिकरण अपनी रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार को देगा ।”;

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) में, “चार से अनधिक वार्षिक किस्तें और उधार पर ब्याज वार्षिक रूप से संदत्त किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “आठ से अनधिक अर्द्ध वार्षिक किस्तें और उधार पर ब्याज अर्द्ध वार्षिक रूप से संदत्त किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (4) में, “बारह प्रतियां और ग्यारह प्रतियां” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “तीन प्रतियां और दो प्रतियां” शब्द रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 17क में,-

(क) “चीनी कारखानों” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) में, “उनके विनिर्दिष्ट क्षेत्र में” शब्दों के स्थान पर, “उस क्षेत्र में, जिसमें उसके चीनी कारखाने या इसके चीनी कारखानों में से कोई अवस्थित है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (3) में, “उद्ग्रहण चीनी समकरण निधि” शब्दों के पश्चात् सभी चीनी कारखानों या उसके अधीन एककों की बाबत” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपनियम (4) में, “चार समान वार्षिक किस्तों” शब्दों के स्थान पर, “आठ समान अर्द्धवार्षिक किस्तों” शब्द रखे जाएंगे ।

13. उक्त नियमों के नियम 19 में,-

(क) “चीनी उपक्रम” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “चीनी कारखाना” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (14) में, “प्रत्येक चीनी कारखानों को, जिसके पास” शब्दों के स्थान पर, “चीनी कारखाने या ऐसे चीनी कारखानों की बाबत प्रत्येक चीनी उपक्रम को, जिनके पास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (14क) में,-

(i) “चीनी कारखानों को उपनियम (15)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “चीनी कारखानों की बाबत किसी चीनी उपक्रम को उपनियम (15) में” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक में, “चीनी कारखाना” शब्दों के स्थान पर, “चीनी कारखानों की बाबत किसी चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

14. उक्त नियमों के नियम 20 में,-

(क) उपनियम (3) में,-

(i) स्पष्टीकरण 1 में, “और चीनी कारखाना आंतरिक परिवहन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति और चीनी के ऐसे निर्यात, लदाई पर माल-भाड़ा के लिए पात्र होगा परंतु चीनी कारखाने द्वारा किया गया करार” शब्दों के स्थान पर, “और चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम आंतरिक परिवहन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति और चीनी के ऐसे निर्यात, लदाई पर माल-भाड़ा के लिए पात्र होगा परंतु चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम द्वारा किया गया कोई करार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 2- जहां चीनी कारखाने की बाबत किसी चीनी उपक्रम ने किसी निर्यातक के माध्यम से चीनी का निर्यात किया है वहां लदाई बिल की अनुप्रमाणित सीमा शुल्क निर्यात



संवर्धन की प्रति में चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम के निर्यातक का नाम उपदर्शित होगा।”

(ख) उपनियम (4) के परंतुक में, “यदि चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (5) में,—

(i) खंड (ख) में, “चीनी द्वारा” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, “जहां चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (6) में, “कोई चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (7) में,—

(ii) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) जहां किसी चीनी कारखाने की बाबत किसी चीनी उपक्रम ने रेल के बजाए सड़क द्वारा चीनी के निर्यात परेषणों का परिवहन करना पसंद किया है वहां आंतरिक परिवहन पर व्यय और माल-भाड़ा के प्रतिदाय के लिए दावा खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट कुल परिवहन प्रभारों और रेल माल भाड़ा प्रभारों या चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम द्वारा उपगत सड़क से वास्तविक परिवहन, जो भी कम हो, तक निर्बंधित होगा।”

(ii) स्पष्टीकरण में, “और चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपनियम (8) में, “कोई चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपनियम (9) में, “कोई चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) उपनियम (10) में, “कोई चीनी” शब्दों के पश्चात् “चीनी की बाबत उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) उपनियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(11) चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम के दावे का प्रतिदाय उस चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम से संपूर्ण दस्तावेज की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्रीय सरकार ने उक्त अवधि के भीतर किसी अपेक्षित दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उस चीनी कारखाने की बाबत चीनी उपक्रम को लिखित में संसूचित न कर दिया हो”;

(ञ) उपनियम (12) में, “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

2833 & 1712-3

15. उक्त नियमों के नियम 20क में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, चीनी मौसम 2006-07 और 2007-08 के दौरान चीनी कारखाने को संदेय और संदत्त रकम के लिए गन्ना कीमत बकाए की निकासी के संबंध में उपबंध उन्हीं को लागू होंगे”।

16. उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(क) उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, “या इसके संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण और पुनर्वासन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर स्कीम मिशन माड प्रोजेक्ट की बाबत प्रौद्योगिकी, सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद् द्वारा प्रायोजित” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (4) में, “ग्यारह” शब्द के स्थान पर “दो” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (5) में, “बारह” शब्द के स्थान पर “दो” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (11) के खंड (v) का लोप किया जाएगा ।

17. उक्त नियमों के नियम 22 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) किसी उपक्रम का कोई चीनी कारखाना जिसके पास प्रतिदिन 2500 टन या अधिक की पेराई की संस्थित क्षमता है, जिसको वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक द्वारा निर्जल अल्कोहल या अल्कोहल से ऐथेनाल या अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी के संस्थापन से शीरा के उत्पादन के लिए किसी परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, इस नियम के अधीन उधार के लिए आवेदन करने का पात्र होगा :

परंतु परियोजना की कम से कम दस प्रतिशत लागत निधि के स्वयं के आंतरिक सृजन से किसी उपक्रम के चीनी कारखाने द्वारा लागत को वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक द्वारा अपेक्षित संवर्धकों के योगदान के भाग के रूप में पूरा किया जा रहा हो ।”

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) कोई चीनी उपक्रम, जिसने इस नियम के अधीन किसी चीनी कारखाने की बाबत उधार का लाभ लिया है, वह उस अवधि के दौरान जिसमें इस नियम के अधीन पूर्व उधार को ब्याज सहित जब तक पूर्ण रूप से पुनःसंदाय नहीं कर दिया जाता है, उसी चीनी कारखाने के लिए दूसरे उधार के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) कोई चीनी उपक्रम, जो संदाय के लिए व्यतिक्रमी है इसके अधीन किसी चीनी कारखाने या एककों के लिए उससे संबंधित चीनी विकास निधि और उद्ग्रहण चीनी समकरण निधि की बाबत शोध्य हो गया है, इस नियम के अधीन उधार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।”

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) कोई चीनी उपक्रम, इस नियम के अधीन निम्नलिखित कारणों या प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक बार के लिए उधार के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) बरती हुई परियोजना, उपस्कर या मशीनरी :

परंतु कोई चीनी उपक्रम उस योजना के लिए जहां बरते हुए उपस्कर या मशीनरी का उपयोग किया गया है या उनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना के लिए किसी उधार के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, अर्थात् :—

(i) ऐसी बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की विशिष्टता का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जो आवश्यक रूप से नए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर से मिलकर बनते हैं ;

(ii) यह तकनीकी रूप से प्रमाणित होगा कि बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की संपूर्ण दक्षता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(iii) इस प्रकार उपयोग की गई पुरानी मशीनरी या उपस्कर की उपयोग पूर्ण अवधि चीनी विकास निधि उधार के प्रतिसंदाय की मियाद से कम नहीं होगी ;

(iv) खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों पूरा करने के अधीन, मशीनरी या उपस्कर की प्राक्कलित या वास्तविक लागत, जो नई नहीं हैं, का चीनी विकास निधि उधार के प्रयोजन के लिए पात्र परियोजना लागत पर पहुंचने से पूर्व परियोजना की प्राक्कलित या वास्तविक लागत से कटौती किया जाएगा ;

(ख) पुनःवित्तपोषण ;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए “पुनःवित्तपोषण” निबंधन में किसी वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक वित्तीय संस्था या बैंक जिसके मूल्यांकन के लिए, जिसे चीनी विकास निधि संघटक प्रस्तावित है, से लिए गए उधार के पुनःसंदाय के लिए उधार की उपलब्धि सम्मिलित है, किंतु चीनी विकास निधि पर स्थायी समिति को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चीनी विकास निधि संघटक के स्थान पर लिया गया “सेतु उधार” सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) व्याप्त लागत का वित्त पोषण ;

(घ) इन नियमों के अधीन आवेदन की तारीख के पूर्व कमीशनप्राप्त परियोजना ;

(ङ) यदि चीनी विकास निधि के अधीन उपलब्ध कराए गए उधार के प्रतिसंदाय की बाबत ऐसा चीनी उपक्रम व्यतिक्रमी है या इसके किसी चीनी कारखानों में से किसी की बाबत उद्ग्रहण चीनी कीमत समकरण निधि के अधीन किसी देयता के संदाय में है ;

(ड) यदि कोई चीनी उपक्रम इसके किसी चीनी कारखानों की बाबत चीनी विकास निधि के अधीन लाभ पहुंचाए गए उधार के प्रतिसंदाय और उद्ग्रहण चीनी कीमत समकरण निधि के अधीन किसी शोध्य की बाबत व्यतिक्रमी है ;

(ड) उपनियम (5) में, “चीनी कारखाना” शब्दों के स्थान पर, “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपनियम (6) में, “चीनी कारखाना” शब्दों के स्थान पर, “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) उपनियम (9) में, “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) उपनियम (10) में,-

(i) “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में “इस नियम के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन आने वाले” शब्दों के स्थान पर, “इस नियम के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(झ) उपनियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(11) उपनियम (10) के अधीन प्राधिकृत उधार की रकम केंद्रीय सरकार द्वारा किसी चीनी उपक्रम को या इसके द्वारा संदत्त, यथास्थिति किसी वित्त संस्था या किसी अनुसूचित बैंक को चीनी उपक्रम के लिए संवितरण हेतु या तो एकमुश्त या किस्तों में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझी जा सके, संवितरित की जाएगी ।”।

(ज) उपनियम (12) में, “उपनियम (10) के खंड (क) या खंड (ग) के अधीन” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ट) उपनियम (15) में, “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) उपनियम (17) का लोप किया जाएगा ;

(ड) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए “चीनी कारखाने” पद में किसी निर्जल अल्कोहल या एल्कोहल से एथेनाल या शीरे से एथेनाल, जिसके लिए इस निमित्त स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार ऐसे चीनी कारखाने द्वारा कच्ची सामग्री प्रदाय की गई है, के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उसकी कोई इकाई (जो चीनी कारखाने के परिसर के भीतर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है) सम्मिलित है ।”।

18. उक्त नियमों के नियम 23 में,-

(क) “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “चीनी उपक्रम के चीनी कारखाने” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, “उद्ग्रहण चीनी कीमत समकरण निधि” शब्दों के पश्चात् “किसी चीनी कारखानों या उसकी इकाइयों की बाबत” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) कोई चीनी उपक्रम निम्नलिखित कारणों या प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए इस नियम के अधीन उधार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) बरती हुई परियोजना, उपस्कर या मशीनरी :

परंतु कोई चीनी उपक्रम उस योजना के लिए जहां बरते हुए उपस्कर या मशीनरी का उपयोग किया गया है या उनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना के लिए किसी उधार के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, अर्थात् :—

(i) ऐसी बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की विशिष्टता का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जो आवश्यक रूप से नए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर से मिलकर बनते हैं ;

(ii) यह तकनीकी रूप से प्रमाणित होगा कि बरती हुई मशीनरी या उपस्कर के उपयोग से परियोजना की संपूर्ण दक्षता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(iii) इस प्रकार उपयोग की गई पुरानी मशीनरी या उपस्कर की उपयोग पूर्ण अवधि चीनी विकास निधि उधार के प्रतिसंदाय की मियाद से कम नहीं होगी ;

(iv) खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों पूरा करने के अधीन, मशीनरी या उपस्कर की प्राक्कलित या वास्तविक लागत, जो नई नहीं हैं, का चीनी विकास निधि उधार के प्रयोजन के लिए पात्र परियोजना लागत पर पहुंचने से पूर्व परियोजना की प्राक्कलित या वास्तविक लागत से कटौती किया जाएगा ;

(ख) पुनःवित्तपोषण ;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए “पुनःवित्तपोषण” निबंधन में किसी वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक वित्तीय संस्था या बैंक जिसके मूल्यांकन के लिए, जिसे चीनी विकास निधि संघटक प्रस्तावित है, से लिए गए उधार के पुनःसंदाय के लिए उधार की उपलब्धि सम्मिलित है, किंतु चीनी विकास निधि पर स्थायी समिति को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चीनी विकास निधि संघटक के स्थान पर लिया गया “सेतु उधार” सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) व्याप्त लागत का वित्त पोषण ;

(घ) इन नियमों के अधीन आवेदन की तारीख के पूर्व कमीशनप्राप्त परियोजना ;

(ङ) यदि चीनी विकास निधि के अधीन उपलब्ध कराए गए उधार के प्रतिसंदाय की बाबत ऐसा चीनी उपक्रम व्यतिक्रमी है या इसके किसी चीनी कारखानों में से किसी की बाबत उद्ग्रहण चीनी कीमत समकरण निधि के अधीन किसी देयता के संदाय में है ।”;

(घ) उपनियम (14) के खंड (ख) में, “वार्षिकी” शब्द के स्थान पर, “अर्द्ध वार्षिकी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (17) का लोप किया जाएगा ;

2833 41712-4

(च) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए “चीनी कारखाने” पद में किसी निर्जल अल्कोहल सह उत्पादन विद्युत परियोजना पर आधारित खोई के लिए जिसके लिए इस निमित्त स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार उक्त चीनी कारखाने द्वारा कच्ची सामग्री प्रदाय की गई है, के लिए कोई इकाई (जो चीनी कारखाने के परिसर के भीतर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है) सम्मिलित है।”।

19. उक्त नियमों के नियम 24 में, उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

20. उक्त नियमों के नियम 25 में, अन्यथा उपबंधित के सिवाए,-

(क) “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “चीनी उपक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, “व्यतिक्रम की रकम पर ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अतिरिक्त ब्याज देय होगा” शब्दों के स्थान पर “व्यतिक्रम की रकम पर छह प्रतिशत वार्षिक या ऐसी दर पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जा सके, अतिरिक्त ब्याज देय होगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (6) में “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर “चीनी उपक्रम के अधीन कोई चीनी कारखाना” शब्द रखे जाएंगे ;

21. उक्त नियमों के नियम 26 में,-

(क) उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसी पुनर्संरचना करते समय सुसंगत समय पर लागू दरों पर बकाए मूल या साधारण ब्याज के किसी भाग का त्यजन नहीं किया जाएगा ;

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार अपने विवेकानुसार लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके पूर्ण अतिरिक्त ब्याज या इसके भाग का त्यजन कर सकेगी।”;

(ख) उपनियम (9) के खंड (ख) में, “व्यतिक्रम की रकम पर चार प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज संदाय की जाएगी” शब्दों के स्थान पर “व्यतिक्रम की रकम पर छह प्रतिशत वार्षिक या ऐसी दर पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जा सके, अतिरिक्त ब्याज संदाय की जाएगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (14) में “चीनी कारखाने” शब्दों के स्थान पर “चीनी उपक्रम के अधीन कोई चीनी कारखाना” शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. 1-16/2007-एसडीएफ]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

**पाठ टिप्पण :—**मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 752(अ), तारीख 28.9.1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए-

- (i) सा0का0नि0 817(अ), तारीख 20 दिसंबर, 1984 ;
- (ii) सा0का0नि0 838 (अ), तारीख 14 नवंबर, 1985 ;
- (iii) सा0का0नि0 551 (अ), तारीख 6 मई, 1988 ;
- (iv) सा0का0नि0 235(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991 ;
- (v) सा0का0नि0 441(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992 ;
- (vi) सा0का0नि0 435(अ), तारीख 6 मई, 1994 ;
- (vii) सा0का0नि0 27(अ), तारीख 12 जनवरी, 1996 ;
- (viii) सा0का0नि0 656(अ), तारीख 21 नवंबर, 1997 ;
- (ix) सा0का0नि0 91(अ), तारीख 12 फरवरी, 2001 ;
- (x) सा0का0नि0 886(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2001 ;
- (xi) सा0का0नि0 442(अ), तारीख 21 जून, 2002 ;
- (xii) सा0का0नि0 584(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002 ;
- (xiii) सा0का0नि0 67(अ), तारीख 29 जनवरी, 2003 ;
- (xiv) सा0का0नि0 241(अ), तारीख 25 मार्च, 2003 ;
- (xv) सा0का0नि0 787(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003 ;
- (xvi) सा0का0नि0 895(अ), तारीख 19 नवंबर, 2003 ;
- (xvii) सा0का0नि0 953(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2003 ;
- (xviii) सा0का0नि0 72(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004 ;
- (xix) सा0का0नि0 687(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2004 ;
- (xx) सा0का0नि0 739(अ), तारीख 9 नवंबर, 2004 ;
- (xxi) सा0का0नि0 149(अ), तारीख 2 मार्च, 2005 ;
- (xxii) सा0का0नि0 451(अ), तारीख 4 जुलाई, 2005 ;
- (xxiii) सा0का0नि0 558(अ), तारीख 15 सितंबर, 2006 ;
- (xxiv) सा0का0नि0 188(अ), तारीख 9 मार्च, 2007 ;
- (xxv) सा0का0नि0 697(अ), तारीख 7 नवंबर, 2007 ;
- (xxvi) सा0का0नि0 699(अ), तारीख 8 नवंबर, 2007 ;
- (xxvii) सा0का0नि0 738(अ), तारीख 29 नवंबर, 2007 ;

- (xxviii) सा०का०नि० 749(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2007 ;  
 (xxix) सा०का०नि० 115(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008 ;  
 (xxx) सा०का०नि० 279(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008 ;  
 (xxxii) सा०का०नि० 388(अ), तारीख 19 मई, 2008 ;  
 (xxxii) सा०का०नि० 508(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 ।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Food and Public Distribution)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2012

**G.S.R. 599(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Throughout the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Department of Food", the words "Department of Food and Public Distribution" shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 2, -
  - (a) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:-
 

"(n) sugar undertaking" means an undertaking which is engaged in the manufacture or production of sugar by means of vacuum pan and with the aid of mechanical power and includes a company incorporated under the Companies Act, 1956 or a Co-operative Society registered under the Co-operative Societies Act of any State, of which the sugar factory is a part;
  - (b) clause (oo) shall be omitted.
4. In the said rules, in rule 3, -
  - (a) in sub-rule (1), for the words, figures, letters and brackets "Major Head '309'-C-Food-C9-other expenditure-C9(3) Payments against collection of Cess on Sugar (Non-Plan)", the following words, figures and brackets shall be substituted, namely:-
 

"Major Head "2408-Food, Storage and Warehouses", Sub-Major Head "01-Food", Minor-Head "797-Transfer to or from Reserye Funds and Deposit Accounts and Sub-Head "01 - Transfer to or from Sugar Development Fund" (Object Head "63-Inter-Account Transfer") or any other Major Head or Head of Account that may be allocated for the purpose";
  - (b) in sub-rule (2), after the words "authority concerned", the following words shall be inserted, namely: -



“either by electronic transfer to the Government account operated for this purpose in such manner as may be specified by the Accounts Officer or”;

(c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) The financial institution, person or authority concerned shall, within three working days of receipt of repayment of loan or payment of interest thereon or any other receipt from the loanee sugar factory or undertaking, credit the said amount to the Fund, failing which, interest provision applicable to sugar factories in default of such amount as specified in sub-rule (3) of rule 25 shall apply to financial institution, person, or authority.”

5. In the said rules, in rule 5, -

(a) in sub-rule (1), for the words and figures “Major Head “829” Development and Welfare Funds - Development Funds for Agricultural Purposes - Sugar Development Fund”, the following words and figures shall be substituted, namely:-

“Major Head “8229 - Development and Welfare Fund”, Minor Head “105- Sugar Development Fund”, or any other Major Head or Head of account that may be allocated for the purpose”;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) All expenditure incurred for the purposes of the Act and these rules shall be met initially from the Consolidated Fund of India under the following Major Heads or Heads of Accounts or any other Major Head or Head of Account that may be allocated for the purpose, and finally debited to the Fund under the Head of Account specified in sub-rule (1), namely:-

#### A. REVENUE SECTION

**Major Head – 2408 – Food, Storage and Warehousing**

Sub-Major Head – 01 – Food

Minor Head – 001 – Direction and Administration

- (i) Sub-Head – 02 - Other offices  
Detailed Head – 02 – Administration of Sugar Development Fund  
(02.02.01 – Salaries and 02.02.50 – Other charges.  
Minor Head – 800 – Other Expenditure;
- (ii) Sub Head – 01 – Subsidy for maintenance of buffer stock of sugar  
(01.00.33 – Subsidies);
- (iii) Sub Head – 02 – Grants in aid for Development of Sugar Industry  
(02.00.31 – Grants-in-aid General);
- (iv) Sub Head – 06 – Reimbursement of Internal Transport and Freight Charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims (06.00.33 – Subsidies);
- (v) Sub Head – 08 - Scheme for Extending Finance Assistance to Sugar Undertakings  
2007 (08.00.33 – Subsidies).

2833 (17) 2-5

**B. CAPITAL SECTION****Major Head – 6860- Loans for Consumer Industries**

Sub-Major Head – 04 - Sugar

Minor Head 190 - Loan to Public Sector and other undertakings.

- (i) Sub Head - 03-Rehabilitation/Modernization of Sugar mills  
(03.00.55-Loans and Advances);
- (ii) Sub Head- 04-Sugar Mills for Cane Development  
(04.00.55-Loans and Advances);
- (iii) Sub Head- 06-Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project  
(06.00.55-Loans and Advances);
- (iv) Sub Head 07-Sugar factories for production for Anhydrous Alcohol or Ehtanol from Alcohol  
(07.00.55-Loans and Advances).”.

6. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Standing Committee.- As soon as may be after the coming into force of these rules, the Central Government may constitute a Standing Committee consisting of the following members, namely:-

- (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution – Chairman;
- (2) Finance Secretary, Ministry of Finance or his representative not below the rank of Director - Member;
- (3) Secretary, Department of Agriculture and Cooperation or his representative not below the rank of Director – Member;
- (4) Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) or his representative not below the rank of Director – Member;
- (5) Secretary, Planning Commission or his representative not below the rank of Director - Member;
- (6) Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Financial Services) or his representative not below the rank of Director – Member;
- (7) Joint Secretary, Department of Food and Public Distribution – Member;
- (8) Chief Director, Directorate of Sugar Department of Food and Public Distribution – Member;
- (9) Director or Deputy Secretary in the Sugar wing of the 'Department of Food and Public Distribution - Member Secretary:

Provided that the Central Government may nominate not more than two officers of that Government or of an educational or research institute, autonomous body or an undertaking of that Government having special knowledge of any aspect of sugar industry as additional members of the Committee as experts:

Provided further that the Central Government may invite representatives from the industry or knowledge groups or financial institutions, to the meetings of the Standing Committee.

7. In the said rules, in rule 9, for the words "Three members in the case of the Committee and two members", the words, "Five members in the case of the Committee and three members" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 13,-

(a) in the first proviso, for the words "three members in the case of the Committee and two members", the words "five members in the case of the Committee and three members" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the words, "three members of the Committee or two members", the words "five members of the Committee or three members" shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 16,-

(A) in sub-rule (1),-

(a) for the words "its plant and machinery", the words "plant and machinery of its sugar factory or any of its sugar factories" shall be substituted;

(b) in clause (b),-

(i) the words "or sponsored by the Technology Information, Forecasting and Assessment Council in respect of the Scheme Mission Mode Project on Sugar Production Technologies of the Department of Science and Technology shall normally be eligible for a loan under this rule" shall be omitted;

(ii) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that a sugar undertaking that has availed of a loan in respect of a sugar factory under this rule shall not be eligible for any further loan under this rule during the period in which the previous loan under this rule or a loan under sub rule (1) of rule 21 in respect of that factory, alongwith interest thereon, has not been fully repaid:";

(iii) in the second proviso, for the words "class or classes of sugar undertakings", the words "class or classes of sugar factories or sugar undertakings" shall be substituted;

(B) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) A sugar undertaking shall not be eligible to apply for a loan under this rule for one or more of the following reasons or purposes, namely; -

(a) a second hand project, equipment or machinery:

Provided that a sugar undertaking shall be eligible to apply for a loan for a project where second hand equipment or machinery has been used or is proposed to be used, subject to the following conditions, namely:-

(i) use of such second hand machinery or equipment shall not change the overall character of the project, which shall essentially consist of new plant, machinery and equipment;

(ii) it shall technically be certified that the use of the second hand machinery or equipment shall not affect the overall efficiency and life of the project;

(iii) the useful life of the second hand machinery or equipment so used shall not be less than the term of repayment of sugar development fund loan;

(iv) subject to fulfillment of conditions specified in clauses (i) to (iii), the estimated or actual cost of machinery or equipment which are not new shall be deducted from the estimated or actual cost of the project before arriving at the eligible project cost for the purpose of sugar development fund loan;

(b) refinancing;

*Explanation.*- For the purpose of this clause, the term 'refinancing' includes availing of loan for repayment of loan taken from any financial institution or scheduled bank before applying to a financial institution or bank for appraisal in which Sugar Development Fund component is proposed, but shall not include a 'bridge loan' taken in lieu of Sugar Development Fund component after submitting an application to the Standing Committee on Sugar Development Fund.

(c) financing of cost over run;

(d) project commissioned prior to the date of application under these rules;

(e) if such sugar undertaking is a defaulter in respect of repayment of loan availed under Sugar Development Fund or in payment of any dues under the Levy Sugar Price Equalization Fund in respect of any of its sugar factories.”;

(C) in sub-rule (2), for the words “eleven”, the word “two” shall be substituted;

(D) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6) The Central Government may, after taking into consideration recommendations made by the Committee or any other relevant factor, authorise payment to a sugar undertaking of such amount of loan, not exceeding the amount required by the financial institution or a scheduled bank, as the case may be, to be contributed by such sugar undertaking as promoter's contribution, as may be determined by the Central Government:

Provided that the loan from the Fund shall be granted if the sugar undertaking contributes a minimum of ten percent of the loan applied for from its own resources as promoter's contribution:

Provided further that the Central Government shall authorise payment of the said loan under this sub-rule only to such sugar undertaking who have fully repaid all the sums which have become due in respect of Sugar Development Fund and Levy Sugar Price Equalisation Fund.”;

(E) in sub-rule (9),-

(a) in clause (i), for the words “Financial Institution or a Scheduled Bank, as the case may be,” the words “Nodal Agency so appointed by the Central Government on its behalf.” shall be substituted;

(b) in clause (iv),-

(i) for the words "a period of eight years reckoned from the date of disbursement of fund loan, whichever is earlier, and loan from the fund along with interest due thereon shall be recoverable in annual instalments not exceeding five", the words "a period of five years reckoned from the date of disbursement of fund loan, whichever is earlier, and loan from the fund along with interest due thereon shall be recoverable in half yearly instalments not exceeding ten" shall be substituted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(F) sub-rule (11) shall be omitted.

10. In the said rules, in rule 16A,-

(a) in sub-rule (3), for the words "sugar factories", the words "sugar undertakings" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the words "four equal annual installments", the words "eight equal half yearly installments" shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 17,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words "in its area", the words "in the area in which its sugar factory or any of its sugar factories is situated," shall be substituted;

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) purchase of mechanical planters and harvesters;"

(iii) for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that loans from the Fund shall be granted only if the Central Government is satisfied on the basis of the information given in Form III that no financial assistance is available for the purpose from any other agency, and if available, the amount thereof is, in the opinion of the Central Government, inadequate and needs to be supplemented by loans from the Fund.

Provided further that the loan from the Fund shall be granted only if the Sugar Undertaking or the State Government contributes a minimum of ten per cent of the loan applied for from its own resources as margin money:

Provided also that the Central Government may accord sanction for a loan under this rule to a sugar undertaking in respect of a sugar factory only on one occasion and no further loan under this rule shall be sanctioned during the period in which the previous loan under this rule or a loan under sub-rule (2) of rule 21 in respect of that sugar factory, along with interest thereon, has not been fully repaid:

Provided also that a sugar undertaking shall not be eligible to apply for the loan under this rule if it is a defaulter in respect of repayment of Sugar Development Fund loan or payment of Levy Sugar Price Equalization Fund in respect of any of its sugar factories:

2833 G/12-6

Provided also that where a sugar undertaking has not availed the loan sanctioned under this rule in respect of any of its sugar factories, it shall not be eligible for grant of loan under this rule for a period of five years from the date of such sanction.”;

(b) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely;-

“Provided that the Central Government may appoint any agency for monitoring of utilisation, progress of the implementation of the scheme and achievement of physical and financial targets of the scheme for which the loan is advanced and such agency shall give its report directly to the Central Government.”;

(c) in sub-rule (3), in clause (a), for the words “annual installments not exceeding four in number and the interest on the loan shall be paid annually”, the words “half yearly installments not exceeding eight in number and the interest on the loan shall be paid half yearly” shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), for the words “twelve copies” and “eleven copies”, the words “three copies” and “two copies” shall respectively be substituted.

12. In the said rules, in rule 17A,-

(a) for the words “sugar factories”, wherever they occur, the words “sugar undertaking” shall be substituted;

(b) in sub-rule (1), for the words “ in their specified areas”, the words “in the area in which its sugar factory or any of its sugar factories is situated,” shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), after the words “levy sugar price equalization fund”, the words “ in respect of all the sugar factories or units thereof under it,” shall be inserted;

(d) in sub-rule (4), for the words “four equal annual instalments”, the words “eight equal half-yearly instalments” shall be substituted.

13. In the said rules, in rule 19, -

(a) for the words “sugar undertaking”, wherever they occur, the words “sugar factory” shall be substituted;

(b) in sub-rule (14), for the words “to every sugar factory, which has”, the words “to every sugar undertaking in respect of a sugar factory or such sugar factories which have”, shall be substituted;

(c) in sub-rule (14A), -

(i) for the words, brackets and figures “in sub-rule (15) to a sugar factory”, the words, brackets and figures “in sub-rule (15) to a sugar undertaking in respect of a sugar factory” shall be substituted;

(ii) in the first, second and third proviso, for the words “sugar factory”, the words “sugar undertaking in respect of a sugar factory” shall be substituted.

14. In the said rules, in rule 20,-

(a) in sub-rule (3),-

(i) in *Explanation I*, for the words "and that sugar factory shall be eligible for reimbursement of expenditure incurred on internal transport and freight charges on such export shipments of sugar, provided that the agreement entered into by the sugar factory", the words "and that sugar undertaking in respect of a sugar factory shall be eligible for reimbursement of expenditure incurred on internal transport and freight charges on such export shipments of sugar, provided that the agreement entered into by the sugar undertaking in respect of a sugar factory" shall be substituted;

(ii) for *Explanation II*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

"*Explanation II*.- Where a sugar undertaking in respect of a sugar factory has exported sugar through an exporter, the customs attested Export Promotion copy of the Shipping Bill shall indicate the name of the exporter and of the sugar undertaking in respect of a sugar factory".

(b) in sub-rule (4), in the proviso, after the words "if a sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), -

(i) in clause (b), after the words "by the sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(ii) in clause (j), after the words "where the sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(d) in sub-rule (6), after the words "A sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(e) in sub-rule (7),-

(ii) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) where a sugar undertaking in respect of a sugar factory has preferred to transport export consignments of sugar by road instead of railway, the claim for reimbursement of expenditure on internal transport and freight charges shall be restricted to the total of transportation charges and railway freight charges as specified in clauses (i) to (iii) or the actual transportation charges by road incurred by the sugar undertaking in respect of a sugar factory, whichever is less.";

(ii) in the *Explanation*, after the words "and the sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(f) in sub-rule (8), after the words "A sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(g) in sub-rule (9), after the words "A sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(h) in sub-rule (10), after the words "A sugar", the words "undertaking in respect of a sugar" shall be inserted;

(i) for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(11) The reimbursement claim of the sugar undertaking in respect of a sugar factory shall be settled within forty-five days of the receipt of the complete documents from the sugar undertaking in respect of that sugar factory unless the Central Government has communicated in writing to the sugar undertaking in respect of that sugar factory to furnish any requisite document within the said period.";

(j) in sub-rule (12), for the words "sugar factory", wherever they occur, the words "sugar undertaking" shall be substituted.

15. In the said rules, in rule 20A, the following explanation shall be inserted, namely:-

*"Explanation:* For the purposes of this rule, the provision regarding clearance of cane price arrears shall apply only to the amounts payable and paid to a sugar factory during the sugar seasons 2006-07 and 2007-08".

16. In the said rules, in rule 21,-

(a) in sub-rule (1), in the second proviso, the words "or sponsored by the Technology, Information, Forecasting and Assessment Council in respect of Scheme Mission Mode Project on Sugar Production Technologies of the Department of Science and Technology for modernization and rehabilitation of its plant and machinery" shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), for the words "eleven", the word "two" shall be substituted;

(c) in sub-rule (5), for the words "twelve", the word "two" shall be substituted;

(d) in sub-rule (11), clause (v) shall be omitted.

17. In the said rules, in rule 22,-

(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted:

"(1) Any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of 2500 Tonnes Crushed per Day or higher to which financial assistance has been approved by a financial institution or a scheduled bank for it to implement a project for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses by installing the required plant and machinery shall be eligible to apply for loan under this rule:

Provided that at least ten percent of the project cost is being met by the sugar factory of an undertaking from its own internal generation of fund as part of the promoters contribution required by the financial institution or the scheduled bank."

(B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) A sugar undertaking that has availed of a loan in respect of a sugar factory under this



rule shall not be eligible for another loan for the same sugar factory during the period in which the previous loan under this rule along with interest thereon has not been fully repaid.

(C) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) A sugar undertaking which is in default of payment that has become due in respect of the Sugar Development Fund and the Levy Sugar Price Equalization Fund relating to any of the sugar factories or units under it shall not be eligible to apply for a loan under this rule”.

(D) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) A sugar undertaking shall not be eligible to apply for a loan under this rule for one or more of the following reasons or purposes, namely; -

(a) a second hand project, equipment or machinery:

Provided that a sugar undertaking shall be eligible to apply for a loan for a project where second hand equipment or machinery has been used or is proposed to be used, subject to the following conditions, namely:-

(i) use of such second hand machinery or equipment shall not change the overall character of the project, which shall essentially consist of new plant, machinery and equipment;

(ii) it shall technically be certified that the use of the second hand machinery or equipment shall not affect the overall efficiency and life of the project;

(iii) the useful life of the second hand machinery or equipment so used shall not be less than the term of repayment of sugar development fund loan;

(iv) subject to fulfillment of conditions specified in clauses (i) to (iii), the estimated or actual cost of machinery or equipment which are not new shall be deducted from the estimated or actual cost of the project before arriving at the eligible project cost for the purpose of sugar development fund loan;

(b) refinancing.

*Explanation:-* For the purpose of this clause, the term ‘refinancing’ includes availing of loan for repayment of loan taken from any financial institution or scheduled bank before applying to a financial institution or bank for appraisal in which Sugar Development Fund component is proposed, but shall not include a ‘bridge loan’ taken in lieu of Sugar Development Fund component after submitting an application to the Standing Committee on Sugar Development Fund;

(c) financing of cost over run;

(d) project commissioned prior to the date of application under these rules;

(e) if such sugar undertaking is a defaulter in respect of repayment of loan availed under Sugar Development Fund or in payment of any dues under the Levy Sugar Price Equalization Fund in respect of any of its sugar factories.”;

2833 97/12-7

(E) in sub-rule (5), for the words "sugar factory", the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(F) in sub-rule (6), for the words "sugar factory", the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(G) in sub-rule (9), for the words "sugar factory", wherever they occur, the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(H) in sub-rule (10),-

(i) for the words "sugar factory", wherever they occur, the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(ii) in clause (a), for the words "falling under clause (a) of sub-rule (1) of this rule," the words "under this rule" shall be substituted;

(iii) clauses (b) and (c) shall be omitted.

(I) for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(11) The amount of loan authorised under sub-rule (10) shall be disbursed by the Central Government to the sugar undertaking or paid by it to the Financial Institution or the Scheduled Bank, as the case may be, for disbursement to the sugar undertaking either in lump sum or in instalments as may be considered necessary by the Central Government.";

(J) in sub-rule (12), the words "under clause (a) or clause (c) of sub-rule (10)" shall be omitted;

(K) in sub-rule (15), for the words "sugar factory", the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(L) sub-rule (17) shall be omitted;

(M) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

"*Explanation.*- For the purpose of this rule, the expression "sugar factory" includes any unit thereof (which may or may not be within the premises of the sugar factory) used for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or from molasses for which raw material is supplied by such sugar factory in accordance with the norms specified by the Standing Committee in this behalf."

18. In the said rules, in rule 23,-

(A) for the words "sugar factory", wherever they occur, the words "sugar factory of a sugar undertaking" shall be substituted;

(B) in sub-rule (3), after the word "levy sugar price equalization fund", the words "in respect of any of the sugar factories or units thereof" shall be inserted;

(C) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) A sugar undertaking shall not be eligible to apply for a loan under this rule for one or more of the following reasons or purposes, namely; -

(a) a second hand project, equipment or machinery:

Provided that a sugar undertaking shall be eligible to apply for a loan for a project where second hand equipment or machinery has been used or is proposed to be used, subject to the following conditions, namely:-

(i) use of such second hand machinery or equipment shall not change the overall character of the project, which shall essentially consist of new plant, machinery and equipment;

(ii) it shall technically be certified that the use of the second hand machinery or equipment shall not affect the overall efficiency and life of the project;

(iii) the useful life of the second hand machinery or equipment so used shall not be less than the term of repayment of sugar development fund loan;

(iv) subject to fulfillment of conditions specified in clauses (i) to (iii), the estimated or actual cost of machinery or equipment which are not new shall be deducted from the estimated or actual cost of the project before arriving at the eligible project cost for the purpose of sugar development fund loan;

(b) refinancing;

*Explanation.* - For the purpose of this clause, the term 'refinancing' includes availing of loan for repayment of loan taken from any financial institution or scheduled bank before applying to a financial institution or bank for appraisal in which Sugar Development Fund component is proposed, but shall not include a 'bridge loan' taken in lieu of Sugar Development Fund component after submitting an application to the Standing Committee on Sugar Development Fund.

(c) financing of cost over run;

(d) project commissioned prior to the date of application under these rules;

(e) if such sugar undertaking is a defaulter in respect of repayment of loan availed under Sugar Development Fund or in payment of any dues under the Levy Sugar Price Equalization Fund in respect of any of its sugar factories.

(D) in sub-rule (14), in clause (b), for the words "annually", the words "half yearly" shall be substituted;

(E) sub-rule (17) shall be omitted;

(F) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted,-

*Explanation.* - For the purpose of this rule, the expression "sugar factory" includes any unit thereof (which may or may not be within the premises of the sugar factory) used for bagasse based cogeneration power project for which raw material is supplied by the said sugar factory in accordance with the norms specified by the Standing Committee in this behalf."

19. In the said rules, in rule 24, sub-rule (3) shall be omitted.

2833 GT/12-8

20. In the said rules, in rule 25, save as otherwise provided,-

(a) for the words "sugar factory", wherever they occur, the words "sugar undertaking" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words "two and a half per cent per annum on the amount of default shall be", the words "six percent per annum on the amount of default or at such rate as may be decided by the Central Government shall be" shall be substituted;

(c) in sub-rule (6), for the words "the sugar factory", the words "any sugar factory under the sugar undertaking" shall be substituted.

21. In the said rules, in rule 26,-

(a) in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that while so restructuring, no portion of the outstanding principal or simple interest at applicable rates at the relevant time shall be waived off:

Provided further that the Central Government may, at its discretion, waive additional interest in full or in part, for reasons to be recorded in writing.";

(b) in sub-rule (9), in clause (b), for the words "four percent per annum on the amount of default shall be", the words "six percent per annum on the amount of default or at such rate as may be decided by the Central Government shall be" shall be substituted;

(c) in sub-rule (14), for the words "sugar factory", the words "any sugar factory under the sugar undertaking" shall be substituted.

[F. No. 1-16/2007-SDF]

T. JACOB, Jt. Secy.

**Footnote:** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 752(E), dated 28-9-1983 and were subsequently amended by the following notifications:

- (i) G.S.R 817 (E), dated the 20<sup>th</sup> December, 1984;
- (ii) G.S.R 838 (E), dated the 14<sup>th</sup> November, 1985;
- (iii) G.S.R 551 (E), dated the 6<sup>th</sup> May, 1988;
- (iv) G.S.R 235(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 1991;
- (v) G.S.R 441 (E), dated the 28<sup>th</sup> April, 1992;
- (vi) G.S.R 435 (E), dated the 6<sup>th</sup> May, 1994;
- (vii) G.S.R 27 (E), dated the 12<sup>th</sup> January, 1996;
- (viii) G.S.R 656 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1997;
- (ix) G.S.R 91 (E), dated the 12<sup>th</sup> February, 2001;
- (x) G.S.R 886 (E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2001;
- (xi) G.S.R 442 (E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2002;
- (xii) G.S.R 584 (E), dated the 19<sup>th</sup> August, 2002;
- (xiii) G.S.R 67 (E), dated the 29<sup>th</sup> January, 2003;
- (xiv) G.S.R 241 (E), dated the 25<sup>th</sup> March, 2003;
- (xv) G.S.R 787 (E), dated the 6<sup>th</sup> October, 2003;
- (xvi) G.S.R 895 (E), dated the 19<sup>th</sup> November, 2003;

- (xvii) G.S.R 953 (E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2003;  
(xviii) G.S.R 72 (E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004;  
(xix) G.S.R 687 (E), dated the 21<sup>st</sup> October, 2004;  
(xx) G.S.R 739 (E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2004;  
(xxi) G.S.R 149 (E), dated the 2<sup>nd</sup> March, 2005;  
(xxii) G.S.R 451 (E), dated the 4<sup>th</sup> July, 2005;  
(xxiii) G.S.R 558 (E), dated the 15<sup>th</sup> September, 2006;  
(xxiv) G.S.R 188 (E), dated the 9<sup>th</sup> March, 2007;  
(xxv) G.S.R. 697 (E), dated the 7<sup>th</sup> November, 2007;  
(xxvi) G.S.R 699 (E), dated the 8<sup>th</sup> November, 2007;  
(xxvii) G.S.R 738 (E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2007;  
(xxviii) G.S.R 749 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2007;  
(xxix) G.S.R. 115 (E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2008;  
(xxx) G.S.R. 279 (E), dated the 10<sup>th</sup> April, 2008;  
(xxxi) G.S.R. 388 (E), dated the 19<sup>th</sup> May, 2008.  
(xxxii) G.S.R.508(E), dated the 7<sup>th</sup> July, 2009